



नियम और शर्तें

फास्ट-ट्रैक बिज़नेस लोन अनुबंध का शासीकरण

1. परिभाषाएँ:

- 1.1. "अनुबंध" का तात्पर्य लोन के संबंध में उधारकर्ता और USFB के बीच अनुबंध से है।
- 1.2. "वार्षिक प्रतिशत दर" या "APR" का तात्पर्य RoI पर ब्याज और लोन से जुड़े अन्य सभी शुल्कों सहित उधारकर्ता को लोन की वार्षिक लागत से है।
- 1.3. "आवेदन प्रपत्र" का तात्पर्य लोन के लिए आवेदन करने और लोन प्राप्त करने (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) के लिए उधारकर्ता द्वारा USFB को प्रस्तुत किए गए लोन आवेदन प्रपत्र से है।
- 1.4. "उधारकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे USFB ने लोन देने पर सहमति दी है और जिसने लोन प्राप्त किया है तथा अनुबंध में उल्लिखित उधारकर्ता भी शामिल है।
- 1.5. "कार्य दिवस" का तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन USFB और बैंक उस स्थान पर व्यवसाय के लिए खुले हों जहाँ से लोन स्वीकृत किया गया है।
- 1.6. "प्राधिकरण" में भारत सरकार ("GoI"), RBI, सरकार, प्रांत या राज्य या उसका कोई अन्य राजनीतिक उपखंड, सरकार से संबंधित या उसके कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, नियामक या प्रशासनिक कार्यों का प्रयोग करने वाली कोई इकाई, प्राधिकरण या निकाय शामिल हैं, जिसमें भारत का कोई भी सरकारी प्राधिकरण, एजेंसी, विभाग, बोर्ड, आयोग या संस्था, कोई अदालत, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ और कोई भी स्व-नियामक संगठन शामिल हैं।
- 1.7. "कूलिंग ऑफ" या "लुक-अप अवधि" का तात्पर्य उस समयावधि से है, जिसके दौरान उधारकर्ता को लोन खाता जारी न रखने की स्थिति में, बिना किसी दंड के, मूलधन और APR का भुगतान कर लोन खाता बंद करने का विकल्प प्राप्त होता है। यदि उधारकर्ता लुक-अप अवधि के बाद लोन खाता बंद करने का निर्णय लेता है, तो उसे USFB द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
- 1.8. "देय तिथि" का तात्पर्य उस/उन तिथि(तिथियों) से है जिस दिन किसी बकाया राशि का भुगतान देय होता है।
- 1.9. "सुविधा दस्तावेजों" में आवेदन पत्र, स्वीकृति पत्र (यदि कोई हो), ये नियम और शर्तें ("T&C"), अनुबंध, और अन्य सभी घोषणाएँ, सहमतियाँ, अनुबंध, साधन, वचनबद्धताएँ, इंडेंट, डीड, लेखन और अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो उधारकर्ता और/या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लोन के संबंध में या उससे संबंधित, या सुविधा दस्तावेजों के तहत परिकल्पित लेनदेन से निष्पादित या दर्ज किए गए हैं, या निष्पादित या दर्ज किए जाने वाले हैं (आवेदन पत्र जमा करने के साथ या उससे पहले या बाद में USFB को प्रदान किए गए सहित), और इसमें सभी संशोधन और संशोधन शामिल हैं।
- 1.10. "निश्चित ब्याज दर" का तात्पर्य उस स्थिर ब्याज दर से है, जो लोन पर लागू होती है और USFB द्वारा समीक्षा के अधीन होती है।
- 1.11. "Floating Rate of Interest" का अर्थ है – EBLR तथा स्प्रेड (spread) का योग, जो USFB द्वारा ऋण पर अनुबंध (Agreement) के अनुसार लागू किया जाता है, और जिसे USFB समय-समय पर पुनरीक्षित (review) कर सकता है।
- 1.12. "ग्रुप" का तात्पर्य (जहाँ संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है) उन सभी व्यक्तियों से है, यदि कोई हो, जिनका नाम आवेदन प्रपत्र में समूह के रूप में दिया गया है और जो ऐसे आवेदन पत्र के माध्यम से USFB के समक्ष स्वयं को एक समूह के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
- 1.13. "ब्याज" का तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण ("KFS")/लोन कार्ड में उल्लिखित ब्याज दर ("RoI") पर लोन पर लगाए गए ब्याज से है, जो उधारकर्ता द्वारा USFB को देय है। 1.14. "लोन" का तात्पर्य USFB द्वारा उधारकर्ता को आवेदन प्रपत्र के अनुसार स्वीकृत लोन राशि से है, जिसे अनुबंध में पूर्ण रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
- 1.15. " External Benchmark Lending Rate (EBLR)" का अर्थ है – USFB की बाह्य मानक उधार दर, जिसे USFB समय-समय पर निर्धारित (determine) एवं प्रकाशित (publish) करता है। EBLR एक ऐसी मानक दर (benchmark rate) है जो किसी बाहरी संदर्भ दर (external reference rate) जैसे कि RBI रेपो दर (Repo Rate) या ट्रेजरी बिल यील्ड (Treasury Bill Yield) से जुड़ी होती है। वर्तमान लागू EBLR, USFB की वेबसाइट पर उल्लिखित दर के अनुसार होगी।
- 1.16. "भौतिक प्रतिकूल प्रभाव" का तात्पर्य किसी भी घटना या परिस्थिति के प्रभाव या परिणाम से है जो (क) लोन के संबंध में या सुविधा दस्तावेजों के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के लिए उधारकर्ता या किसी व्यक्ति की क्षमता के प्रतिकूल है; या (ख) उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति के लिए हानिकारक है या (ग) USFB की राय में USFB के अधिकारों या हितों के लिए हानिकारक है।
- 1.17. "नेट-ऑफ खाता" का तात्पर्य उधारकर्ता के किसी भी मौजूदा लोन खाते से है, जिसे उधारकर्ता को लोन लेने के साथ ही बंद करना होगा।
- 1.18. "नेट-ऑफ राशि" का तात्पर्य नेट-ऑफ खाते को बंद करने के लिए लोन से काटी गई राशि से है।

नियम और शर्तें

फास्ट-ट्रैक बिज़नेस लोन अनुबंध का शासीकरण

1.19 "बकाया" का तात्पर्य किसी भी समय उन सभी राशियों से है (चाहे वह मूलधन, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दंडात्मक शुल्क, परिसमाप्त हर्जाना, फीस, लागत, कमीशन, शुल्क, व्यय या अन्य कोई भी हो), जो उधारकर्ता द्वारा USFB को देय हैं या लोन के संबंध में सुविधा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के तहत उत्पन्न होती हैं। इसमें उन सभी राशियों को भी शामिल किया गया है, जिनके लिए उधारकर्ता सुविधा दस्तावेजों के अनुसार किसी भी रूप में USFB को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है, साथ ही वे सभी राशियाँ भी सम्मिलित हैं, जो USFB ने सुविधा दस्तावेजों के तहत अपने अधिकारों की प्राप्ति या प्रवर्तन के लिए खर्च की हैं।

1.20. "आवधिक किस्तें" या "PI" का तात्पर्य उस राशि से है, जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल हैं, जिन्हें उधारकर्ता को लोन के संबंध में USFB को पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार और/या उसमें किए गए परिवर्तनों के अनुरूप समय-समय पर भुगतान करना आवश्यक होता है, जैसा कि USFB द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया जाता है।

1.21. "पूर्व-भुगतान" का तात्पर्य है, KFS में निर्दिष्ट कार्यकाल की समाप्ति से पहले उधारकर्ता द्वारा संपूर्ण बकाया राशि का पुनर्भुगतान करना, जो USFB द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होता है।

1.22. "प्रोसेसिंग फीस" का तात्पर्य है और इसमें वे सभी प्रारंभिक भुगतान शामिल हैं, जिन्हें USFB की विवेकानुसार उधारकर्ता को लोन वितरण के लिए लागू किया जाएगा। "पुनर्भुगतान" का तात्पर्य है सभी बकाया राशियों का पुनर्भुगतान।

1.23. "RBI दिशानिर्देशों" में वे सभी दिशानिर्देश, परिपत्र, अधिसूचनाएँ, मानदंड, विनियम, आवश्यकताएँ, प्रतिबंध और/या निर्णय शामिल हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक ("RBI") द्वारा समय-समय पर जारी या लागू किए जाते हैं।

1.24. "पुनर्भुगतान अनुसूची" का तात्पर्य अनुबंध/लोन कार्ड में उल्लिखित पुनर्भुगतान कार्यक्रम से है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और USFB द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया जाता है।

1.25. "कर" में किसी भी प्रकार का कर, उपकर, अधिभार, माल और सेवा कर (GST), इयूटी या अन्य शुल्क इसी तरह की कटौती शामिल हैं (जिसमें कोई भी दंड, ब्याज, जुर्माना, अधिभार या उसके संबंध में किया गया भुगतान भी शामिल है)।

1.26. "USFB" का तात्पर्य उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जो कंपनियों अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गठित एक कंपनी (CIN: L65110KA2016PLC142162) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ में एक बैंकिंग कंपनी से है। इसका पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय ग्रेप गार्डन, नंबर 27, 3rd "A" क्रॉस, 18th मेन, 6th ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560095 में स्थित है और इसमें इसके उत्तराधिकारी

1.27. "वेबसाइट" का तात्पर्य USFB की वेबसाइट से है, जो वर्तमान में www.ujjivansfb.in है।

2. व्याख्या: सुविधा दस्तावेजों में: (i) एक लिंग के संदर्भ में सभी लिंग शामिल हैं; (ii) एकवचन में बहुवचन शामिल होगा और इसके विपरीत, परिभाषित शब्दों के संबंध में भी; (iii) किसी भी दस्तावेज़, साधन, कानून आदि के संदर्भ में समय-समय पर संशोधन, विस्तार, पुनः अधिनियमन, अनुपूरक, पुनर्कथन, नवीकरण और/या समेकन के संदर्भ को शामिल करने के लिए समझा जाएगा; (iv) किसी भी मामले की 'मौलिकता' या 'तर्कसंगतता' का निर्धारण USFB द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा; (v) सुविधा दस्तावेजों के सभी अनुसूचियाँ, अनुबंध और प्रदर्शन संबंधित सुविधा दस्तावेज का एक अभिन्न अंग होंगे; और (vi) जब एक से अधिक उधारकर्ता हों, तो उधारकर्ता शब्द में ऐसे सभी उधारकर्ता शामिल होंगे और प्रत्येक उधारकर्ता सुविधा दस्तावेजों के तहत और लोन के संबंध में संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा।

3. लोन और संवितरण: USFB अपने विवेकानुसार लोन दे सकता है और उधारकर्ता सुविधा दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों और नियमों पर USFB से लोन लेने के लिए सहमत होता है। यदि उधारकर्ता ने कोई गुप लोन लिया है और वह USFB की पुस्तकों में अभी भी बकाया है, तो नया लोन केवल उस मौजूदा लोन के बंद होने या USFB द्वारा उसके बकाया राशि को लोन की प्रक्रिया से समायोजित करने के बाद ही वितरित किया जाएगा। यह समायोजन बिना किसी पूर्व-भुगतान दंड या उधारकर्ता को किसी प्रकार की हानि पहुँचाए बिना किया जाएगा। इसके अनुसार, उधारकर्ता USFB को संपूर्ण बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बना रहेगा। USFB द्वारा उधारकर्ता को लोन का संवितरण खाता क्रेडिट के माध्यम से या कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है (जिसमें लोन की प्रोसेसिंग फीस के भुगतान या बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए समायोजन/कटौती आदि भी शामिल हैं, यदि उधारकर्ता द्वारा ऐसी बीमा योजना चुनी गई हो)। यह संवितरण उस दिन प्रभावी माना जाएगा जब USFB द्वारा लोन खाता से/में लोन वितरित किया गया हो, चाहे संवितरण तिथि और/या क्रेडिट प्राप्ति तिथि कार्य दिवस हो या न हो।

4. पुनर्भुगतान: उधारकर्ता USFB को लोन का पुनर्भुगतान करेगा, जिसमें संवितरण तिथि से लागू संचित ब्याज शामिल होगा। यह पुनर्भुगतान PI और सभी अन्य बकाया राशि के रूप में, निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार, संबंधित देय तिथियों पर या उससे पहले किया जाएगा। यदि कोई भुगतान/पुनर्भुगतान ऐसे दिन देय हो जो कार्य दिवस न हो, तो वह अगले उपलब्ध कार्य दिवस पर देय होगा। USFB को प्राप्त हुए आंशिक PI को निकटतम संपूर्ण रूप में पूर्णांकित करने का अधिकार है। प्रत्येक PI के लिए ब्याज घटक बकाया राशि के अनुसार भिन्न हो सकता है। RoI में

नियम और शर्तें

फास्ट-ट्रैक बिज़नेस लोन अनुबंध का शासीकरण

संशोधन के कारण पुनर्भुगतान अनुसूची में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में, आवश्यकतानुसार या तो पुनर्भुगतान की अवधि या PI की राशि में परिवर्तन किया जाएगा। यदि USFB स्वचालित क्लियरिंग हाउस ("ACH") निर्देशों के माध्यम से या USFB ("SI") के साथ उधारकर्ता के खाते से जुड़े स्थायी निर्देशों के माध्यम से लोन के तहत पुनर्भुगतान की अनुमति देता है, तो उधारकर्ता ACH/SI को पंजीकृत करने के लिए अपेक्षित अधिदेश निष्पादित करेगा। USFB देय तिथि के पिछले या बाद के दिन पड़ने वाले कार्य दिवस पर ACH/SI को निष्पादित/प्रोसेस कर सकता है और उधारकर्ता को हर समय यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित खाते में ऐसे ACH/SI को सफल बनाने के लिए अपेक्षित शेष राशि उपलब्ध हो। जब तक उधारकर्ता USFB को लिखित अनुरोध नहीं करता और साथ ही निर्धारित PI से अधिक किसी भी राशि का भुगतान नहीं करता, तब तक ऐसी अधिशेष राशि (या उसका कोई भी भाग) USFB द्वारा उपयुक्त समझे गए तरीके से संबंधित खाते में दर्ज की जाएगी, बिना उधारकर्ता की लोन को पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार चुकाने की देनदारी को प्रभावित किए। यह स्पष्ट किया जाता है कि USFB के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह उधारकर्ता को पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार लोन का भुगतान करने या पुनर्भुगतान में तेज़ी लाने के लिए आग्रह कर सके। उधारकर्ता द्वारा किए गए पुनर्भुगतान या बकाया के लिए USFB द्वारा एकत्र/प्राप्त की गई/उगाही गई राशि के विनियोजन के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति उधारकर्ता के हितों के लिए प्रतिकूल नहीं होगी और इसे निम्नलिखित तरीके से या USFB द्वारा अपने विवेकानुसार उचित समझे जाने पर विनियोजन किया जा सकता है: (क) सबसे पहले, USFB द्वारा किए गए लागतों/व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए; (ख) दूसरे, बकाया राशि पर ब्याज (उपार्जित ब्याज सहित), चाहे डेबिट किया गया हो या नहीं; और (ग) अंत में, लोन की मूल राशि के लिए।

5. ब्याज: उधारकर्ता (Borrower) को ऋण पर, उसके वितरण की तिथि (date of disbursal) से, अनुबंध (Agreement) में निर्दिष्ट दर (rate) और आवृत्ति (frequency) के अनुसार ब्याज का भुगतान करना होगा। Fast Track Business Loan श्रेणी के लिए Rate of Interest (RoI) को EBLR से जोड़ा जाएगा। वास्तविक RoI, EBLR तथा लागू स्प्रेड (applicable spread) का योग होगा, जैसा कि USFB द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि ऋण स्थिर ब्याज दर (Fixed Rate of Interest) पर लिया गया है, तो RoI स्थिर रहेगा। यदि ऋण परिवर्ती ब्याज दर (Floating Rate of Interest) पर लिया गया है, तो RoI को EBLR अथवा USFB द्वारा समय-समय पर उसकी शाखाओं, आउटलेट्स, कार्यालयों या वेबसाइट पर अधिसूचित किसी अन्य दर से जोड़ा जाएगा। यहाँ "EBLR" से आशय External Benchmark Lending Rate से है – अर्थात् वह दर जिसे USFB समय-समय पर निर्धारित एवं प्रकाशित करता है और जो किसी बाहरी मानक (external benchmark) जैसे RBI रेपो दर (Repo Rate) या ट्रेज़री बिल यील्ड (Treasury Bill Yield) से जुड़ी होती है, जैसा कि वेबसाइट पर प्रदर्शित है। USFB को अपने पूर्ण विवेकाधिकार (absolute discretion) से ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय, और समय-समय पर, ब्याज दर में परिवर्तन या संशोधन (change/revise) करने का अधिकार रहेगा, और इसके लिए उधारकर्ता को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होगा। संशोधित ब्याज दर एवं उसकी आवृत्ति (periodicity) उधारकर्ता पर बाध्यकारी (binding) होगी। अन्य सभी गणना, संप्रेषण (communication) और प्रदर्शन (display) की प्रक्रियाएँ मूल नियमों के अनुसार अपरिवर्तित रहेंगी।

6. शुल्क/फीस: सभी प्रोसेसिंग फीस और शुल्क उधारकर्ता द्वारा लोन के संवितरण के समय USFB को भुगतान किए जाएँगे। जो प्रोसेसिंग फीस उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं की गई है, USFB लोन संवितरण के दौरान उसकी उगाही करेगा। कोई भी ऐसे शुल्क/फीस/कर, उधारकर्ता द्वारा डेबिट के साथ ही USFB को भुगतान किए जाएँगे। सभी शुल्क और फीस किसी भी परिस्थिति में गैर-वापसी योग्य हैं। उधारकर्ता को USFB को वे सभी शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जो सुविधा दस्तावेज़ों में उल्लेखित हैं। उधारकर्ता को लोन के समापन के समय USFB को समापन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो USFB द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगा। यह समापन शुल्क केवल उन लोन पर लागू होगा जो USFB द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक हैं। सभी शुल्क/फीस लागू कर के अधीन होंगे।

7. उधारकर्ता की जीवन बीमा: उधारकर्ता, जो स्वेच्छा और स्वतंत्र इच्छा से अपने जीवन का बीमा करना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से बीमा कवरेज चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। बीमा पॉलिसी से संबंधित सभी मामले संबंधित बीमाकर्ता की शर्तों के अधीन हैं और USFB उधारकर्ता द्वारा चुने गए बीमा से संबंधित किसी भी मामले के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। यदि उधारकर्ता USFB के माध्यम से बीमा विकल्प चुनता है, तो: (i) उधारकर्ता USFB को प्रीमियम भुगतान करने के लिए लोन की राशि का उपयोग करने और उसे लोन के अंतर्गत वितरित माने जाने के लिए अधिकृत करेगा; तथा (ii) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि लोन के समापन तक बीमा USFB के पक्ष में प्रथम हानि भुगतानकर्ता के रूप में दर्ज किया जाए। बीमा कवरेज के स्वीकार किए जाने के बाद, बीमा प्रमाणपत्र उधारकर्ता के साथ साझा किया जाएगा। पॉलिसी जारी होने के बाद, उधारकर्ता को SMS के माध्यम से बीमा प्रमाणपत्र की प्रति डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। यदि उधारकर्ता पॉलिसी की भौतिक प्रति चाहता है, तो वह USFB की शाखा में जाकर या फोन बैंकिंग के माध्यम से अनुरोध कर सकता है और शाखा में उसे भौतिक प्रति प्रदान की जाएगी।

8. पूर्व-भुगतान: USFB अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार, समय-समय पर निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन, उधारकर्ता को लोन का पूर्व-भुगतान करने की अनुमति दे सकता है।

नियम और शर्तें

फास्ट-ट्रैक बिज़नेस लोन अनुबंध का शासीकरण

9. दायित्व की सीमा: USFB किसी भी परिस्थिति में लोन वितरित करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिसमें पूर्व शर्तों की पूर्ति और लोन को नियंत्रित करने वाली शर्तें भी शामिल हैं। यदि उधारकर्ता लोन से संबंधित किसी भी नियम और शर्त का पालन करने में विफल रहता है या यदि USFB की राय में उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, तो USFB लोन को रद्द कर सकता है, चाहे वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वितरित किया गया हो। जहाँ उधारकर्ता को USFB या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया गया है, वहाँ लागू RBI दिशानिर्देशों के संदर्भ में, USFB के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह निर्धारित शीतकालीन अवधि की समाप्ति तक उधारकर्ता को लोन प्रदान न करे, जैसा कि USFB द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। उधारकर्ता हर समय यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी रहेगा कि सभी PI और बकाया राशि का भुगतान/पुनर्भुगतान संबंधित देय तिथि(यों) पर या उससे पहले किया जाए, बिना USFB द्वारा किसी अतिरिक्त सूचना/संकेत दिए। यह भुगतान USFB द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर किया जाएगा, बिना किसी कटौती के, ताकि USFB संबंधित देय तिथि(यों) पर पूर्ण राशि प्राप्त कर सके। भुगतान का क्रेडिट केवल प्राप्त के बाद दिया जाएगा, और यह संबंधित देय तिथि(यों) पर प्रभावी होगा, जो ऐसी प्राप्ति के बाद आएगी। USFB द्वारा आंशिक भुगतान की स्वीकृति को निम्नलिखित के लिए USFB के अधिकारों की छूट नहीं माना जाएगा: (i) उस समय या किसी भी बाद की अवधि में संपूर्ण भुगतान प्राप्त करने का अधिकार, या (ii) अन्य सभी अधिकार। यदि USFB के विवेकानुसार लोन को किसी भी तरीके से पुनर्संचित/पुनर्निर्धारित किया जाता है, तो उधारकर्ता को उस पुनर्संचना/पुनर्निर्धारण को नियंत्रित करने वाली शर्तों और नियमों के अनुसार लोन खाते का संचालन करना होगा। USFB द्वारा किए गए किसी भी लोन की पुनर्संचना/पुनर्निर्धारण को USFB के अधिकारों या उधारकर्ता की मौजूदा लोन संबंधी बाध्यताओं की छूट नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी पुनर्संचना/पुनर्निर्धारण के बावजूद, USFB को सुविधा दस्तावेज़ों में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार मौजूदा लोन पर बकाया राशि की उगाही का अधिकार रहेगा।

10. सब्सिडी/प्रोत्साहन: यदि लोन या उधारकर्ता किसी प्राधिकरण के कहने पर किसी सब्सिडी या प्रोत्साहन के लिए पात्र है, तो ऐसी सब्सिडी/प्रोत्साहन, यदि दी जाती है, तो वह निःशुल्क नहीं होगी। उधारकर्ता को USFB द्वारा प्रशासित सब्सिडी/प्रोत्साहन से संबंधित कानूनों और नीति(यों) से परिचित होना चाहिए और उसे इनका ज्ञान प्राप्त हुआ माना जाएगा। USFB पर प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत कवर की गई सब्सिडी/प्रोत्साहन के अलावा किसी अन्य प्रकार की बाध्यता या देयता नहीं होगी। उधारकर्ता तब तक सब्सिडी/प्रोत्साहन और उसके तहत मिलने वाले लाभों के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि USFB और/या इसे प्रदान करने वाले प्राधिकरण की राय में उसके लोन खाते का संचालन संतोषजनक न हो। उधारकर्ता को USFB द्वारा मांगे जाने पर, उसके द्वारा प्राप्त सब्सिडी/प्रोत्साहन, यदि कोई हो, को USFB को या USFB द्वारा निर्धारित किसी प्राधिकारी को तुरंत वापस करना चाहिए। कोई भी राशि जिसे वापस नहीं किया गया, वह स्वतः ही बकाया राशि का हिस्सा बन जाएगी। यदि किसी प्राधिकरण की विशेष योजना के तहत लोन दिया जाता है, तो यह उस योजना को नियंत्रित करने वाले कानूनों और USFB की दिशानिर्देश/नीति(यों) के अनुसार संचालित होगा, जिसमें लाभार्थियों की पहचान, मोरेटोरियम (अधिस्थगन) और ब्याज भुगतान सहित अन्य प्रावधान शामिल हैं।

11. प्रतिनिधित्व और वारंटियाँ: (क) उधारकर्ता को निरंतर आधार पर यह घोषित, प्रस्तुत और आश्वस्त किया हुआ माना जाएगा कि: (i) वह लोन लेने और सुविधा दस्तावेज़ों को निष्पादित करने का अधिकार और सामर्थ्य रखता है; (ii) उसके या उसकी संपत्तियों के विरुद्ध कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही (दिवालियापन सहित) समाप्त, आरंभ, लंबित या संभावित नहीं है; (iii) वह न तो चूककर्ता/इच्छाकृत चूककर्ता है और न ही उसे इस रूप में घोषित करने की कोई कार्यवाही चल रही है। यदि कोई ऋणदाता उसे इच्छाकृत चूककर्ता घोषित करने की कार्यवाही आरंभ करता या धमकी देता है, तो USFB को उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा; (iv) लोन का उद्देश्य अवैध, सट्टा या अनैतिक नहीं है; (v) लोन केवल उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है, और इसे किसी अवैध, समाज-विरोधी, सट्टा गतिविधि में उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसमें शेयर बाजार/IPO में भागीदारी शामिल है; (vi) उसने सभी सार्वजनिक देयताओं जैसे आयकर, संपत्ति कर और अन्य करों का भुगतान किया है और समय पर भुगतान करता रहेगा। वर्तमान में, उस पर कोई बकाया कर या राजस्व लंबित नहीं है; (vii) जब तक USFB को लिखित रूप में सूचित न किया जाए, वह न तो USFB या किसी अन्य बैंक के निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार है और न ही USFB या किसी अन्य बैंक के निदेशक/कर्मचारी या उनके रिश्तेदार उसकी गतिविधियों में कोई महत्वपूर्ण रुचि रखते हैं; (viii) उधारकर्ता को USFB को लोन के अंतिम उपयोग के संबंध में निर्दिष्ट प्रपत्र, तरीके और रूप में प्रमाणन प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रमाणन गलत पाया जाता है, तो USFB को उचित कार्रवाई (जिसमें आपराधिक कार्यवाही शामिल है) करने का अधिकार होगा; (ix) उधारकर्ता को USFB को उसके परिसरों का निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी और उसने अनुमति दी होगी, ताकि लोन के उपयोग की पुष्टि की जा सके। ये सभी घोषणाएँ लोन की समाप्ति तक प्रतिदिन दोहराई गई मानी जाएँगी।

12. पूर्व शर्तें: USFB केवल तभी लोन वितरित कर सकता है, जब: (क) उधारकर्ता USFB की क्रेडिट योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करे। USFB को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे: (i) बाज़ार पूछताछ या क्रेडिट ब्यूरो जाँच कराना, और (ii) उधारकर्ता से उपयुक्त प्रामाणिकता दस्तावेज़ मांगना, (ख)

नियम और शर्तें

फास्ट-ट्रैक बिज़नेस लोन अनुबंध का शासीकरण

उधारकर्ता का सुविधा दस्तावेजों की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना और कोई चूक या उल्लंघन न होना, ग) ऐसी कोई परिस्थिति, कार्यवाही या संभावित जोखिम मौजूद न होना, जो यदि प्रतिकूल रूप से निर्धारित हो, तो गंभीर वित्तीय प्रभाव डाल सकती हो, (घ) उधारकर्ता द्वारा सभी सुविधा दस्तावेजों का निष्पादन, दाखिला, पंजीकरण और USFB द्वारा स्वीकार्य रूप में सुपुर्दगी, (ङ) यदि USFB या किसी कानून द्वारा आवश्यक हो, तो उधारकर्ता को USFB को संतुष्ट करना: (i) पूर्व संवितरणों (यदि कोई हो) की प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में, और (ii) यह कि संवितरण आवश्यक हैं और केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

13. निम्नलिखित घटनाओं में से कोई भी घटित होने पर इसे 'डिफॉल्ट की घटना' ("डिफॉल्ट ऑफ डिफॉल्ट") माना जाएगा: (क) संबंधित देय तिथि पर किसी बकाया राशि का भुगतान न होना। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल देय तिथि ही RBI दिशानिर्देशों के तहत आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों के लिए मानी जाएगी, चाहे USFB ने अपनी विवेकाधिकार से पुनर्भुगतान के लिए (यदि कोई हो) अनुग्रह अवधि दी हो या नहीं, (ख) यदि कोई स्थायी निर्देश या भुगतान निर्देश संबंधित देय तिथि से पहले नवीनीकृत नहीं किया जाता है, (ग) सुविधा दस्तावेजों की किसी भी शर्त का उल्लंघन या उनमें निहित किसी भी प्रतिनिधित्व और/या वारंटी का असत्य या गलत सिद्ध होना, (घ) यदि उधारकर्ता द्वारा USFB को दी गई कोई भी जानकारी भ्रामक या गलत पाई जाती है, (ङ) समूह (यदि कोई, जिसे लोन प्रदान करने के उद्देश्य से मान्यता दी गई हो) में किसी सदस्य के हटने या नए सदस्य के जुड़ने के कारण कोई बदलाव आता है या समूह की घोषित गतिविधियों में परिवर्तन होता है, (च) यदि उधारकर्ता USFB को किसी डिफॉल्ट की घटना या ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं देता है, जो नोटिस, समय की समाप्ति, या अन्य शर्तों की पूर्ति के बाद 'डिफॉल्ट की घटना' बन सकती है, (छ) यदि उधारकर्ता USFB, किसी बैंक, वित्तीय संस्थान और/या अन्य लेनदारों के साथ किए गए किसी भी व्यवस्था के तहत चूक करता है ("क्रॉस डिफॉल्ट"), (ज) उधारकर्ता को दिवालिया या इच्छाकृत चूककर्ता घोषित करने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ या धमकी दी जाती है, या उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित होता है, (झ) कोई ऐसी घटना, जिसमें प्रारंभिक चेतावनी संकेत शामिल हो, जो USFB की राय में RBI द्वारा जारी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों को आकर्षित कर सकती हो, (ञ) यदि किसी प्राधिकरण द्वारा उधारकर्ता के खिलाफ कदाचार की कार्यवाही की जाती है, (ट) यदि समूह या कोई अन्य व्यक्ति, जो उधारकर्ता की स्थिति जानता हो, उसे 30 (तीस) दिनों या अधिक समय तक उधारकर्ता का पता न हो, (ठ) कोई ऐसी घटना, स्थिति या परिस्थिति मौजूद हो या उत्पन्न हो, जो गंभीर वित्तीय प्रभाव डाल सकती हो।

USFB द्वारा यह निर्णय कि डिफॉल्ट की घटना हुई है या नहीं, अंतिम और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। उधारकर्ता को किसी भी डिफॉल्ट की जानकारी मिलते ही, या किसी ऐसी घटना के बारे में पता चलते ही जो (सूचना दिए जाने, समय बीतने, महत्व निर्धारण या अन्य शर्तों की पूर्ति के बाद) 'डिफॉल्ट की घटना' बन सकती है, USFB को तुरंत लिखित रूप में सूचित करना होगा, साथ ही यदि कोई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हों, तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। लोन को विशेष उल्लेख खाते ("SMA") श्रेणी में वर्गीकृत करने का आधार निम्नलिखित होगा (जो समय-समय पर RBI द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा):

| SMA उप-श्रेणियाँ | का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्ण या आंशिक रूप से देय हो |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SMA-0 | दिनों तक |
| SMA-1 | 30 (तीस) दिनों से 60 (साठ) दिनों तक |
| SMA-2 | 60 (साठ) दिनों से 90 (नब्बे) दिनों तक |

लोन को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ("NPA") के रूप में वर्गीकृत करने का आधार निम्नलिखित होगा (जो समय-समय पर RBI द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा): यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 (नब्बे) दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है। संबंधित खाते को लोन के संदर्भ में बकाया घोषित करना, USFB द्वारा देय तिथि के दिन-अंत प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, भले ही USFB द्वारा ऐसी प्रक्रिया किस समय चलाई जाए। लोन से संबंधित खाते का SMA तथा NPA के रूप में वर्गीकरण, संबंधित तिथि की दिन-अंत प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। SMA या NPA वर्गीकरण की तिथि वही कैलेंडर तिथि होगी, जिसके लिए दिन-अंत प्रक्रिया चलाई जाती है।

लोन को SMA के रूप में वर्गीकृत करने का उदाहरण: यदि किसी लोन खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और उस तिथि की दिन-अंत प्रक्रिया चलाए जाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उस खाते की बकाया तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। यदि बकाया स्थिति लगातार बनी रहती है, तो इस खाते को 30 अप्रैल 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर SMA-1 के रूप में टैग किया जाएगा, अर्थात् लगातार 30 दिनों तक बकाया रहने की स्थिति पूरी होने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी। इसी प्रकार, यदि खाता लगातार बकाया बना रहता है, तो 30 मई 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया चलाने पर उसे SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा, और यदि आगे भी बकाया स्थिति बनी रहती है, तो 29 जून 2021 को दिन-अंत प्रक्रिया के दौरान उसे NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

नियम और शर्तें

फास्ट-ट्रैक बिज़नेस लोन अनुबंध का शासीकरण

14. लोन अनुबंध या लोन की अवधि (या लोन के समापन के पश्चात) के दौरान, USFB केवल उधारकर्ता के अनुरोध और समय-समय पर USFB द्वारा निर्धारित तथा उधारकर्ता को सूचित किए गए शुल्कों के भुगतान पर ही, लोन खाते के विवरण प्रदान करेगा।

15. USFB को, बिना किसी बाध्यता के, लोन की अंतिम उपयोगिता की निगरानी करने का अधिकार होगा, जिसमें USFB द्वारा नियुक्त किसी लेखापरीक्षक या परामर्शदाता के माध्यम से की गई निगरानी भी शामिल है, जिसकी लागत उधारकर्ता वहन करेगा; साथ ही USFB आवश्यक प्रमाणपत्र भी उनसे प्राप्त कर सकेगा।

16. USFB के उपाय:

क) यहाँ उल्लिखित उपाय USFB के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

ख) डिफॉल्ट की स्थिति में, USFB उधारकर्ता को एक नोटिस जारी कर यह घोषित कर सकता है कि मूलधन सहित सभी बकाया राशि तत्काल देय हो गई है; और USFB अपनी पूर्ण विवेकाधिकार से इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

ग) यदि उधारकर्ता देय तिथि पर अथवा उससे पूर्व देय घोषित की गई कोई भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या किसी सुविधा दस्तावेज़ के अंतर्गत किसी प्रकार की चूक करता है, तो USFB को—अपने किसी भी अधिकारों को प्रभावित किए बिना—सभी या किसी भी सुविधा दस्तावेज़ के अंतर्गत उपलब्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करने और/अथवा उधारकर्ता की संबंधित राशि/दस्तावेज़ रोकने और/अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी सुविधा दस्तावेज़ को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जो USFB के एकमात्र विवेकाधिकार पर आधारित होगा।

घ) USFB द्वारा इन उपायों का प्रयोग इसके प्रतिनिधियों, सेवकों, अधिकारियों, एजेंटों, तृतीय पक्ष/रिकवरी एजेंटों और/या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है, जिन्हें USFB द्वारा नियुक्त किया गया हो (सामूहिक रूप से "प्रतिनिधि" कहा गया है)। USFB, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, लोन प्रशासन से संबंधित सुविधा दस्तावेज़ों के अंतर्गत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों को अपने प्रतिनिधियों को सौंपते हुए, स्वयं अथवा ऐसे प्रतिनिधियों के माध्यम से उपायों को क्रियान्वित करने के लिए पूर्णतः अधिकृत होगा। इसमें उधारकर्ता से सभी बकाया राशि की उगाही एवं प्राप्ति के अधिकार तथा उससे संबद्ध और अनुषंगी सभी वैध कार्यों, दस्तावेज़ों, विषयों और गतिविधियों का संपादन और निष्पादन शामिल होगा, जैसे कि नोटिस भेजना, उधारकर्ता से संपर्क करना, नकद/चेक/ड्राफ्ट/मैंडेट आदि प्राप्त करना और उधारकर्ता को वैध तथा प्रभावी रसीद व मुक्तिपत्र प्रदान करना। उपरोक्त प्रयोजनों अथवा USFB के विवेकाधिकार पर किसी अन्य प्रयोजन के उद्देश्य से, USFB को ऐसे प्रतिनिधियों के समक्ष उधारकर्ता और लोन से संबंधित सभी जानकारी का प्रकटन करने का अधिकार होगा, जिसे उधारकर्ता द्वारा इस अनुबंध के निष्पादन के माध्यम से सहमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त के बावजूद, USFB (और/या कोई प्रतिनिधि) किसी तृतीय पक्ष (जिसमें उधारकर्ता के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं) से संपर्क कर सकता है और उधारकर्ता तथा लोन से संबंधित सभी आवश्यक या प्रासंगिक जानकारी का प्रकटन कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रतिनिधियों की नियुक्ति USFB द्वारा केवल RBI दिशानिर्देशों के अनुरूप ही की जाएगी और यदि किसी उपाय को ऐसे किसी प्रतिनिधि के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित हो, तो उस स्थिति में USFB उपायों के प्रयोग के समय उधारकर्ता को ऐसे प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध कराएगा। ऐसे प्रतिनिधियों के पास USFB द्वारा जारी नोटिस की प्रति, उनके नाम से जारी प्राधिकरण पत्र तथा USFB द्वारा जारी पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। उगाही प्रक्रिया के दौरान प्रतिनिधियों में (यदि कोई हो) परिवर्तन की सूचना उधारकर्ता को दी जाएगी और नव नियुक्त प्रतिनिधि के पास USFB द्वारा जारी नोटिस, प्राधिकरण पत्र तथा पहचान पत्र होना आवश्यक होगा। हालाँकि, उधारकर्ता को किसी भी समय USFB के इस अधिकार से असहमत होने का अधिकार होगा और यदि उधारकर्ता इस संबंध में अग्रिम रूप से आवश्यक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है, तो USFB ऐसे अनुरोधों पर विचार करेगा। अतिरिक्त रूप से, यहाँ वर्णित उपायों के अलावा, RBI दिशानिर्देशों (जिसमें धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देश भी शामिल हैं) के संदर्भ में USFB को उपलब्ध अन्य उपाय भी लागू होंगे।

17. USFB का सामान्य धारिता एवं समायोजन का अधिकार: कानून के अंतर्गत उपलब्ध सभी धारिता और समायोजन (सेट-ऑफ) अधिकारों के अतिरिक्त, USFB को उधारकर्ता की किसी भी समय उसके पास उपलब्ध या जमा की गई सभी धनराशि एवं अन्य संपत्तियों (किसी भी खाते में, सुरक्षा के लिए या अन्यथा रखी गई) पर बिना किसी विशेष सूचना के धारिता रखने और समायोजन का अधिकार प्राप्त होगा; और ऐसे अधिकारों का प्रयोग बिना किसी मांग या सूचना के किया जा सकेगा। USFB द्वारा किसी भी कार्य, चूक या विलंब के कारण, इन अधिकारों को त्यागा गया माना नहीं जाएगा, और प्रत्येक धारिता तथा समायोजन का अधिकार तब तक पूर्ण प्रभाव में और लागू रहेगा जब तक कि USFB द्वारा उसे विशेष रूप से लिखित रूप में त्याग नहीं दिया जाता। उपरोक्त या अन्य किसी भी अधिकार के अतिरिक्त, USFB को निम्नलिखित पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे: (क) किसी भी समय, उधारकर्ता के किसी या सभी खातों और/या दायित्वों को USFB की किसी भी शाखा में एकीकृत या समेकित करना; तथा (ख) USFB के पास रखी गई उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक या निजी विक्रय, हस्तांतरण या किसी अन्य माध्यम से बेचना या उसका निपटान करना—उसके लिए कोई विधिक कार्यवाही प्रारंभ किए बिना—तथा उससे प्राप्त आय से बकाया राशि की उगाही/समायोजन करना।

नियम और शर्तें

फास्ट-ट्रैक बिज़नेस लोन अनुबंध का शासीकरण

18. USFB को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा कि वह लोन समापन पर, उधारकर्ता द्वारा लोन के संबंध में जमा किए गए दस्तावेज़ों/जानकारी को संरक्षित रखे या नष्ट कर दे।

19. असाइनमेंट/भागीदारी: अनुबंध को निष्पादित करके, उधारकर्ता सहमत होता है कि: (क) उसे सुविधा दस्तावेज़ों के तहत अपने अधिकारों/दायित्वों को किसी को भी सौंपने का अधिकार नहीं होगा। (ख) USFB को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी सूचना या संदर्भ के उधारकर्ता की ओर से निम्नलिखित करने की अनुमति होगी: (i) बकाया राशि ("भागीदारी") का एक भाग या अंश एक या अधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ("भाग लेने वाले बैंक(कों)") को स्थानांतरित करना, और भागीदारी अंतर बैंक भागीदारी को नियंत्रित करने वाली एक समान संहिता, 1988 के प्रावधानों के अनुसार शासित होगी, जिसे उधारकर्ता पढ़ चुका है और समझ चुका माना जाएगा; और/या (ii) अपने अधिकारों और/या दायित्वों को सुविधा दस्तावेज़ों और/या बकाया राशि के तहत, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, एक या अधिक बैंक/वित्तीय संस्थानों/किसी अन्य व्यक्ति को भारत में या भारत के बाहर सौंपना, अंतरण करना, नवीनीकरण करना या प्रतिभूतिकरण करना। (ग) भागीदारी किसी भी प्रकार से उधारकर्ता और USFB के बीच बकाया राशि के संबंध में अधिकारों/दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी और USFB भाग लेने वाले बैंकों का सभी मामलों में और भागीदारी से संबंधित सभी विषयों में प्रतिनिधित्व जारी रख सकता है। (घ) उधारकर्ता किसी भी भाग लेने वाले बैंक/संस्था से कोई अनुबंध संबंधी अधिकार का दावा नहीं करेगा, जिसे सुविधा दस्तावेज़ों के तहत अधिकार या दायित्व असाइन/अंतरित/नवीकृत/प्रतिभूतिकृत किए गए हों और उधारकर्ता पुष्टि करता है कि वह USFB द्वारा की गई ऐसी भागीदारी या अंतरण/असाइन किए जाने के बावजूद सुविधा दस्तावेज़ों के प्रावधानों का पालन करता रहेगा।

20. प्रकटीकरण: USFB उधारकर्ता के डेटा की गोपनीयता का सम्मान करेगा। इसके बावजूद, USFB को उधारकर्ता से संबंधित किसी भी जानकारी और डेटा (जिसमें व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा या जानकारी और कोई भी जानकारी शामिल है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000/2008 और/या किसी अन्य कानून के तहत सहमति की आवश्यकता रखती है) और/या लिए गए लोन और/या चूक (यदि कोई हो) को निम्नलिखित को प्रकट करने का अधिकार होगा: (क) USFB या उसकी समूह संस्था के किसी भी प्रतिनिधि आदि को; (ख) USFB की समूह संस्थाओं को; (ग) किसी भी रेटिंग एजेंसी, बीमाकर्ता या बीमा दलाल को या USFB या उसकी समूह संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रेडिट सुरक्षा प्रदान करने वाले को; (घ) किसी भी सेवा प्रदाता/व्यावसायिक सलाहकार को, जिनके पास सभी न्यायिक क्षेत्रों में अपने उप-अनुबंधकर्ताओं के साथ इसे आगे साझा करने का अधिकार होगा; (ङ) किसी भी क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट सूचना कंपनियों, डेटाबेस/डेटाबैंकों, कॉर्पोरेट, बैंक, वित्तीय संस्थानों आदि को; (च) किसी भी प्राधिकरण या व्यक्ति को, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक हो; (छ) किसी अन्य व्यक्ति को जिसके साथ/को (या जिसके माध्यम से) USFB सुविधा दस्तावेज़ों के तहत अपने अधिकारों और/या दायित्वों को संभावित रूप से सौंपता/अंतरित/नवीकृत करता है (या सौंप सकता/अंतरित/नवीकृत कर सकता है) या भागीदारी करता है। उपर्युक्त संस्थाएँ इस जानकारी और डेटा का उपयोग और प्रसंस्करण अपनी सुविधा और आवश्यकताओं के अनुसार कर सकती हैं। USFB को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (या इसमें किए गए किसी भी संशोधन) और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार परिभाषित "वित्तीय जानकारी" को लोन लेन-देन के संबंध में सूचना उपयोगिताओं ("IU") को उजागर/प्रस्तुत करने का अधिकार होगा और उधारकर्ता को संबंधित IU द्वारा अनुरोध किए जाने पर USFB द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी "वित्तीय जानकारी" को शीघ्रता से प्रमाणित करना चाहिए।

21. सभी सुविधा दस्तावेज़ भारत के कानूनों के अधीन होंगे। सभी सुविधा दस्तावेज़ों से उत्पन्न विवाद उस क्षेत्राधिकार में स्थित न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे, जहाँ USFB की शाखा स्थित है, जहाँ संबंधित लोन खाता बनाए रखा जाता है। हालाँकि, USFB को अपने पूर्ण विवेकाधिकार में किसी अन्य न्यायालय, न्यायाधिकरण या उपयुक्त मंच में कोई कानूनी कार्यवाई या कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होगा और उधारकर्ता इस क्षेत्राधिकार के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है।

22. सूचना: सुविधा दस्तावेज़ों के अंतर्गत दी जाने वाली कोई भी सूचना या संचार लिखित रूप में होना चाहिए और इसे अनुबंध/लोन कार्ड में उल्लिखित पते पर भेजा जाना चाहिए। (i) उधारकर्ता द्वारा भेजी गई सूचना/संचार प्री-पेड पंजीकृत AD पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जानी चाहिए और इसे USFB द्वारा उसकी वास्तविक प्राप्ति पर प्राप्त माना जाएगा, और (ii) USFB अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से सूचना/संचार भेज सकता है और इसे उधारकर्ता द्वारा प्राप्त माना जाएगा: (क) यदि डाक के माध्यम से भेजी गई हो, तो पोस्ट ऑफिस को सुपूर्दगी के 2 (दो) दिन पूरे होने के बाद और (ख) यदि व्यक्तिगत रूप से दी गई हो, तो जब उधारकर्ता के पते पर छोड़ी जाए और USFB के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि इसे वितरित किया गया था, तो यह निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।

23. विविध: (क) USFB को निम्नलिखित के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे: (i) उधारकर्ता के खाते(तों), व्यवसाय, गतिविधियों और/या परिसरों का निरीक्षण/लेखापरीक्षण करने या करवाने का, जिसे USFB अपने विवेकाधिकार से आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों के माध्यम से कर सकता है, ताकि लोन या उसमें किए गए किसी भी लेन-देन से संबंधित किसी संदिग्ध धोखाधड़ी लेन-देन के संबंध में उपयुक्त उपाय किए जा सकें और (ii) लोन के संबंध में प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करने और लोन के लिए चेतावनी देने/धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए USFB द्वारा उपयुक्त उपाय

नियम और शर्तें

फास्ट-ट्रैक बिज़नेस लोन अनुबंध का शासीकरण

अपनाने का, जहाँ USFB की राय में लोन या उसके लेन-देन का आचरण धोखाधड़ी हो सकता है। (ख) उधारकर्ता यह जानता है कि यदि USFB को नेक-नीयत से RBI दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक लगे, तो उसे लोन के लिए चेतावनी देने/धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उचित नोटिस जारी किया जाएगा। यदि ऐसी सूचना जारी की जाती है, तो उधारकर्ता को निर्धारित समयसीमा के भीतर (लिखित रूप में) उत्तर देने/प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। जहाँ उधारकर्ता निम्नलिखित में विफल रहता है: (i) USFB को लिखित रूप में उत्तर/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने में या (ii) USFB द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर सहयोग प्रदान करने में, तो उधारकर्ता USFB को इस अधिकार की अनुमति देता है कि वह उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर लोन के लिए चेतावनी देने/धोखाधड़ी घोषित करने के लिए आवश्यक आगे की कार्रवाई कर सके। (ग) जहाँ लोन के लिए चेतावनी दी जाती है/धोखाधड़ी घोषित की जाती है, वहाँ USFB इसे RBI दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित प्लेटफॉर्मों/प्राधिकरणों को रिपोर्ट कर सकता है। (घ) USFB स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बकाया राशि की उगाही/संग्रह कर सकता है। (ङ) उधारकर्ता को लोन के लिए USFB को डिमांड प्रोमिसरी नोट जारी करना पड़ सकता है, जैसा कि USFB द्वारा आवश्यक होने पर निर्धारित किया जाएगा। (च) लोन, ब्याज दर, किस्तों की राशि/संख्या या लोन से संबंधित किसी भी शर्त में किया गया कोई भी संशोधन/परिवर्तन/संशोधन USFB द्वारा संशोधित किए जाने पर तत्काल प्रभाव से सुविधा दस्तावेजों में प्रतिस्थापित माना जाएगा। (छ) उधारकर्ता को सभी समय लागू होने वाले सभी कानूनों का पालन करना होगा।

24. अन्य शर्तें: - क) यदि उधारकर्ता को उस गतिविधि को बंद करना पड़ता है जिसके लिए लोन लिया गया था, किसी भी कारण से जो उसकी चूक, लापरवाही, दुर्व्यवहार, अप्रत्याशित घटना या अप्रत्याशित परिस्थितियों या अन्यथा के कारण हो, तो लोन के तहत बकाया राशि USFB द्वारा मांगे जाने पर तुरंत चुकाई जाएगी। ख) उधारकर्ता अपनी वित्तीय स्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में USFB को सूचित करेगा, जो लोन जारी रखने के USFB के निर्णय को प्रभावित करने की संभावना है। इसके लिए, उधारकर्ता को USFB को प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न या किसी कर भुगतान की प्रतियाँ और/या USFB द्वारा मांगे जाने वाले ऐसे अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। ग) उधारकर्ता को USFB को किसी भी घटना/परिस्थिति की लिखित सूचना तुरंत देनी होगी, जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। घ) उधारकर्ता USFB के अनुरोध पर ऐसे कार्य, कर्म, मामले और चीज़ें करेगा, जिन्हें USFB समय-समय पर निर्धारित कर सकता है। उधारकर्ता को यह पुष्टि कर लेनी होगी कि USFB को दिए गए सभी दस्तावेज और उनकी सच्ची प्रतियाँ वास्तविक हैं और USFB किसी भी समय (पुनः) सत्यापन के लिए मूल प्रतियाँ मांग सकता है। च) उधारकर्ता को सुविधा दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में किसी भी कमी को पूरा करने की सभी लागतों को वहन करना होगा।

25. अन्य प्रकटीकरण: USFB पारदर्शिता और निष्पक्ष उधार प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्ध है और (क) USFB ने एक नीति अपनाई है, जिसे उसके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है (जो, अन्य बातों के साथ, कर्मचारियों के लिए न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित करती है) और इसके तहत कर्मचारियों के आचरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, USFB के पास अपने कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और निगरानी के लिए एक संगठित प्रणाली मौजूद है। USFB द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्राहकों के प्रति उपयुक्त व्यवहार विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण शामिल है, साथ ही ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। USFB कर्मचारियों का ग्राहकों के प्रति आचरण उचित रूप से उनके पारिश्रमिक संरचना में सम्मिलित किया गया है, (ख) उधारकर्ता किसी भी सुविधा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि उसमें सभी रिक्त स्थान उनके संतोषानुसार प्रासंगिक विवरणों से भरे न हों, (ग) USFB किसी भी दस्तावेज, उपकरण या मूल्यवान वस्तु प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं करता, सिवाय उन दस्तावेजों के जो सुविधा दस्तावेजों में उल्लिखित हैं, (घ) USFB द्वारा उधारकर्ता से एकत्रित किसी भी राशि के लिए रसीद जारी की जाती है, (ङ) उधारकर्ता से कोई सिक्वोरिटी डिपॉज़िट/मार्जिन नहीं लिया जाता है, (च) विलंबित भुगतानों पर दंड लगाया जाएगा, (छ) लोन के मूल्य-निर्धारण में केवल तीन घटक शामिल हैं—ब्याज शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क और बीमा प्रीमियम (जिसमें इसके प्रशासनिक शुल्क शामिल हैं), (ज) ऐसे ग्राहक जो नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण गंभीर लोन पुनर्भुगतान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे अपने लोन को पुनर्निर्धारित करने के लिए शाखा से संपर्क कर सकते हैं, (झ) लोन का प्रदान USFB या किसी तृतीय पक्ष द्वारा दी जाने वाली किसी अन्य उत्पाद/सेवा से जुड़ा नहीं है, (ञ) उधारकर्ताओं के डेटा की गोपनीयता को सम्मानित किया जाएगा, बशर्ते कि यह अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत हो। उधारकर्ता इस तथ्य से अवगत है कि उसे सुविधा दस्तावेजों में उल्लिखित संस्थाओं के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से असहमति व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। USFB ऐसे अनुरोधों पर विचार करेगा, यदि उधारकर्ता USFB को आवश्यक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है, (ट) यहाँ वर्णित उपचारात्मक उपायों को USFB द्वारा नियमित रूप से नहीं अपनाया जाएगा। USFB के पास उन उधारकर्ताओं की पहचान करने की व्यवस्था है जो वास्तविक पुनर्भुगतान संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और USFB ऐसे उधारकर्ताओं के साथ सकारात्मक रूप से संवाद करता है तथा उन्हें उपलब्ध उपायों के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है, (ठ) USFB वसूली के लिए किसी भी कठोर उपाय का उपयोग या अनुपालन नहीं करेगा, (ड) USFB के प्रतिनिधियों को केवल तभी उधारकर्ता के निवास या कार्यस्थल पर उगाही करने की अनुमति दी जाएगी जब उधारकर्ता लगातार दो या अधिक अवसरों पर नामित/केंद्रीय नामित स्थान पर उपस्थित होने में विफल रहता है। USFB

नियम और शर्तें

फास्ट-ट्रैक बिज़नेस लोन अनुबंध का शासीकरण

के पास समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निवारण की एक स्थापित व्यवस्था है, जो USFB की ग्राहक शिकायत निवारण नीति में विस्तृत रूप से उल्लेखित है। यह नीति USFB की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसकी शाखाओं/कार्यालयों में भी प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि USFB अपने प्रतिनिधियों के उपयुक्त व्यवहार के लिए उत्तरदायी है, उधारकर्ता स्पष्टीकरण के लिए या यदि वह किसी प्रतिनिधि के अनुचित व्यवहार या मांगों को देखता है जो उपर्युक्त अन्य प्रकटीकरणों के अनुरूप नहीं हैं, तो वह टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 208 2121 पर संपर्क कर सकता है। उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि इन T&C की प्रति USFB की शाखाओं में संदर्भ के लिए उपलब्ध है। उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि वह सुविधा दस्तावेज़ों (जिसमें ये T&C भी शामिल हैं) को स्वीकार करने/उनकी पुष्टि करने/सहमति देने/उन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि वह उन्हें पढ़ न ले, समझ न ले, स्वयं को आश्वस्त न कर ले और उनके सभी प्रावधानों से पूर्ण रूप से सहमत न हो।